

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 400

(दिनांक 5 फरवरी, 2024, सोमवार/16 माघ, 1945 (शक) को दिए जाने वाला उत्तर)

**“जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता”**

**400. श्री गजानन कीर्तिकर:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या जीएसटी इनपुट इम्पैक्ट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता सितम्बर माह की विवरणी दाखिल करने की तारीख तक सीमित थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या जिन व्यापारियों ने कुछ वास्तविक, व्यक्तिगत और आर्थिक कारणों से अपनी विवरणी दाखिल नहीं की है, उनके खातों के साथ-साथ बिलों के आधार पर दिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को रोक दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या इन मामलों का निपटान कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या व्यापारियों ने नियत तिथि के बाद विवरणी भरते समय विलंब शुल्क का भुगतान करने के साथ-साथ दंडात्मक ब्याज जमा करके अपनी देयताओं को पूरा किया है;
- (ङ) क्या सरकार ने उनकी मूल एटीसी को केवल इस त्रुटि के कारण अस्वीकार कर दिया है कि वे संबंधित धारा/कानून का उल्लेख करना भूल गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (च) सरकार द्वारा उन्हें न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है; और
- (छ) जीएसटी परिषद द्वारा समाधान करने और आम आदमी को राहत प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, वित्त अधिनियम 2022 के द्वारा 1 अक्टूबर, 2022 से यथासंशोधित, की धारा 16 की उप-धारा (4) में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी पंजीकृत व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष जो कि किसी 'इनवॉइस' या 'डेबिट नोट' से संबंधित हो, के बाद आने वाले 30 नवम्बर की तारीख के बाद या संगत वार्षिक रिटर्न के भरे जाने के बाद, दोनों में से जो भी पहले हो, माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति से संबंधित इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट अथवा डेबिट नोट प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

(ख) और (ग): सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी पंजीकृत व्यक्ति केवल सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 और धारा 17, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित, में निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा सकता है। उक्त शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं -

- (i) धारा 39 के तहत विवरणी प्रस्तुत करना,
- (ii) आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी कर का इनवॉइस या डेबिट नोट का होना,
- (iii) बाह्य आपूर्ति के विवरण में संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा उक्त इनवॉइस या डेबिट नोट का विवरण प्रस्तुत किया जाना और प्राप्तकर्ता को ऐसे विवरण की सूचना दिया जाना,
- (iv) माल या सेवाओं या दोनों की रसीद,
- (v) संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा सरकार को ऐसी आपूर्ति के संबंध में प्रभारित कर का वास्तविक भुगतान,
- (vi) जिस वित्तीय वर्ष से ऐसा 'इनवॉइस' या 'डेबिट नोट' संबंधित हो उसकी समाप्ति के बाद आने वाली 30 नवम्बर की तारीख या संगत वार्षिक रिटर्न के भरे जाने की तारीख, इनमें से जो भी पहले हो, के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट को नहीं लिया जाना, और
- (vii) धारा 17 की उप-धारा (5) में निर्दिष्ट आपूर्ति के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ न मिलना।

पंजीकृत व्यक्तियों को सही इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में मदद करने के लिए और फॉर्म जीएसटीआर-2बी के अनुसार उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट और फॉर्म जीएसटीआर-3बी में लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के बीच विसंगतियों, यदि कोई हो, का पता लगाने में उनकी मदद करने के लिए कॉमन पोर्टल पर एक तुलनात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है।

(घ): सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो नियत तारीख तक अपना रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है, उसे सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 47 के अनुसार विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, उक्त पंजीकृत व्यक्ति को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 के प्रावधानों के अनुसार कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान करना देय है।

(ङ): सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा अपने रिटर्न में करने के लिए धारा/कानून का उल्लेख करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

(च) और (छ): प्राप्तकर्ताओं को उनके द्वारा प्राप्त की गई आपूर्ति के संबंध में देय इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए और आपूर्तिकर्ताओं को उनकी आपूर्ति की समय पर रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित करने के लिए, सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि फॉर्म जीएसटीआर-1 में बाह्य आपूर्ति के विवरण की क्रमिक फाइलिंग की जाए और धारा 37 की उप-धारा (1) के तहत किसी कर-अवधि की बाह्य आपूर्ति के विवरण को फॉर्म जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करने को धारा 39 के तहत उक्त कर अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत करने की एक शर्त बनाया जाए।

इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16(2)(ग) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की शर्त का अनुपालन करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 37क के तहत एक तंत्र निर्धारित किया गया है, ताकि आगामी वित्तीय वर्ष के 30 नवम्बर तक आपूर्तिकर्ता द्वारा उक्त आपूर्ति पर कर का भुगतान न करने की स्थिति में किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस किया जा सके। यदि आपूर्तिकर्ता बाद में कर का भुगतान करता है, तो यह तंत्र ऐसे क्रेडिट को पुनः प्राप्त करने का भी प्रावधान करता है।।

इसके अलावा, केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 से संबंधित कानून और प्रक्रियाओं में सभी प्रकार के परिवर्तन जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर ही किए जाते हैं।

\*\*\*\*\*